सिविल रिवीजन

न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह के समक्ष

एम/एस वार यम सिंह एंड संस, याचिकाकर्ता

बनाम

कार्यकारी अभियंता (सी),और दुसरी,-*उत्तरदाताओं.*

सिविल रिवीजन 992 ऑफ़ 1969

30 जनवरी, 1970.

मध्यस्थता अधिनियम (एक्स*का* 1940)—धारा 37(4)—प्रारंभ का समय *मध्यस्थता समझौते द्वारा तय की गई मध्यस्थता कार्यवाही - ऐसे समय की समाप्ति - उसके विस्तार की प्रार्थना - न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले बिंदु - कहा गया - पक्ष विस्तार के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिखा रहा है - चाहे प्रासंगिक हो।*

आयोजित, कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37(4) की भाषा स्पष्ट एवं सुस्पष्ट है। इसमें प्रावधान है कि समय का विस्तार इस तथ्य के बावजूद दिया जा सकता है कि समझौते के तहत मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है। समय बढ़ाने की प्रार्थना पर विचार करते समय न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या मामले की परिस्थितियों में यदि समय नहीं बढ़ाया गया तो अनुचित कठिनाई होगी। यह प्रश्न, कि क्या निर्धारित अवधि के भीतर मध्यस्थ को स्थानांतरित न करने के लिए समय विस्तार के लिए आवेदन करने वाली पार्टी के पास पर्याप्त कारण था, वह मानदंड नहीं है जिसके आधार पर विस्तार का आदेश दिया जाना है। (पैरा 3)

धारा 44 *पंजाब न्यायालय अधिनियम के,* 1919 *और अनुभाग* 115 कोड ऑफ़ सिविल प्रोसीजर के तहत याचिका।*श्री एस.एन. प्रकाश, वरिष्ठ उप न्यायाधीश, हिसार के दिनांक 18 जुलाई के आदेश के पुनरीक्षण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की,* 1969 *धारा के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया* 37(4)*समय के विस्तार के लिए मध्यस्थता अधिनियम की।*

हरिंदर सिंह , एडवोकेट , याचिकाकर्ता के लिए.

एच. एल.सोनी, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए.

आदेश

न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह - याचिकाकर्ता-फर्म, मेसर्स वरयाम सिंह एंड संस और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कार्यकारी अभियंता (सी) के बीच एक निश्चित भवन अनुबंध के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ, याचिकाकर्ताओं ने मामले को श्री डी.के. सहगल के पास भेज दिया। , पार्टियों के बीच अनुबंध की शर्तों के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रतिवादी संख्या 2। हालाँकि, मध्यस्थ ने केवल इतना कहकर संदर्भ पर विचार करने से इनकार कर दिया अनुबंध के खंड 25(ए) में निर्धारित 180 दिनों की

अवधि से परे किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने समय बढ़ाने के लिए भारतीय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 (4) के तहत वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, हिसार के समक्ष आवेदन किया। हालाँकि, विद्वान न्यायाधीश ने यह कहते हुए समय बढ़ाने से इनकार कर दिया कि मध्यस्थता के लिए समझौते के तहत निर्धारित समय के विस्तार का कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया गया है। इसी आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता-फर्म पुनरीक्षण में आई है।

2. याचिकाकर्ता के वकील, श्री हरिंदर सिंह द्वारा रखा गया मुख्य तर्क यह है कि विद्वान वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने धारा 37 की उप-धारा (4) के प्रावधानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और पूरी तरह से गलत आधार पर समय बढ़ाने से इनकार कर दिया है कि यह पर्याप्त नहीं है। निर्धारित समय के भीतर मध्यस्थ को स्थानांतरित नहीं करने का कारण बताया गया था। इस संबंध में, वह बताते हैं कि यह सवाल विचार के लिए नहीं उठता कि क्या याचिकाकर्ता की मध्यस्थ के पास जाने में विफलता पर्याप्त कारण के लिए थी या नहीं, और अदालत को इस पर विचार करना था कि क्या याचिकाकर्ता को अनुचित कठिनाई होगी यदि समय नहीं बढ़ाया गया है. यह विवाद उचित प्रतीत होता है और इसे कायम रहना चाहिए। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (4) प्रदान करती है: -

> "जहां भविष्य के मतभेदों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए एक समझौते की शर्तें प्रदान करती हैं कि कोई भी दावा जिस पर समझौता लागू होता है, तब तक वर्जित किया जाएगा जब तक कि मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए नोटिस नहीं दिया जाता है या मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया जाता है या मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई अन्य कदम नहीं उठाया जाता है। समझौते द्वारा निर्धारित समय, और एक अंतर उत्पन्न होता है जिस पर समझौता लागू होता है, यदि न्यायालय की राय है कि मामले की परिस्थितियों में अन्यथा अनुचित कठिनाई होगी, और इस बात के बावजूद कि इस प्रकार तय किया गया समय समाप्त हो गया है, तो वह इस पर विचार कर सकता है। शर्तें, यदि कोई हों, जैसा कि मामले के न्याय की आवश्यकता हो सकती है, उस अवधि के लिए समय बढ़ाएँ जो वह उचित समझे।

3.इस प्रावधान की भाषा स्पष्ट एवं स्पष्ट है। इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि समय का विस्तार इस तथ्य के बावजूद भी दिया जा सकता है कि समझौते के तहत तय समय समाप्त हो गया है। समय बढ़ाने की प्रार्थना पर विचार करते समय अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या मामले की परिस्थितियों में यदि समय नहीं बढ़ाया गया तो अनुचित कठिनाई होगी। प्रश्न यह है कि क्या निर्धारित सीमा के भीतर मध्यस्थ के पास न जाने के लिए समय विस्तार के लिए आवेदन करने वाली पार्टी के पास पर्याप्त कारण थेअवधि वह मानदंड नहीं है जिसके आधार पर विस्तार का आदेश दिया जाना है। विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने पुनरीक्षण के तहत अपने आदेश में भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा ` और _ के तहत विभिन्न प्राधिकारियों का उल्लेख किया है और माना है कि चूंकि याचिकाकर्ता मेहनती नहीं थेंइसलिए समय बढ़ाने का कोई पर्याप्त कारण नहीं था। यह दृष्टिकोण पूर्णतया गलत है। जैसा कि पहले देखा गया हैंअधिनियम की धारा ^b l'_Lके तहत विचार के लिए पर्याप्त कारण का प्रश्न नहीं उठता है और जिस पर विचार किया जाना है वह यह है कि क्या समय बढ़ाने से इनकार करने से अनुचित कठिनाई होगी। चूँकि विद्वान न्यायाधीश ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि समय विस्तार से इनकार करने पर याचिकाकर्ता को अनुचित कठिनाई होगी या नहींंयह स्पष्ट है कि वह अवैध रूप से और पूरी तरह से गलत आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है। मामले के इस दृष्टिकोण मेंंपुनरीक्षण के तहत आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है

और मध्यस्थता अधिनियम की धारा ^b की उप-धारा l'_Lके प्रावधानों के आलोक में आवेदन से निपटने के लिए मामले को वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के पास भेजा जाना चाहिए। और ऊपर दर्ज की गई टिप्पणियाँ। मैं तदनुसार ऑर्डर करता हूं। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा। पक्षों को \a फरवरीč\db[को वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीशč हिसार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देशयो के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जैस्मिन प्रीत कौर

पर्शिक्षु न्यायिक अधिकारी

सोनीपत, हरियाणा